



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 68/2014

दायर दिनांक 16.4.2014

पीठासीन अधिकारी—श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. मंगला पुत्र भंवरलाल जाति कुम्हार निवासी सिणगारा तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर (फौत)
 - 1.1 राजू देवी पत्नि मंगला
 - 1.2 महावीर पुत्र मंगला
 - 1.3 यशवंत पुत्र मंगला
 - 1.4 लक्ष्मी पुत्री मंगला
 - 1.5 पार्वती पुत्री मंगला
 - 1.6 अंजू पुत्री मंगला
 - 1.7 अनीता पुत्री मंगला

—वादी

बनाम

1. चांदमल पुत्र भंवरलाल जाति कुम्हार निवासी सिणगारा तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर
2. श्रीमती श्याणी पत्नि सत्यनारायण जाति कुम्हार निवासी खोडियाल रोड़, बापूनगर गायत्री स्कूल के पास, अहमदाबाद
3. श्रीमती अनोप पत्नि मदनलाल जाति कुम्हार निवासी लाल दरवाजा, रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़
4. श्रीमती लाली पत्नि हीरालाल जाति कुम्हार निवासी पींगलोद तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0का0अधि0 1955

निर्णय

दिनांक 1.4.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सिणगारा पटवार हल्का सींगला के ख0न0 284 रकबा 02-17 बीघा, ख0न0 325 रकबा 13-14 बीघा व ख0न0 283 रकबा 01 बिस्वा स्थित है उक्त खसरा नम्बरान में वादी 1/10 हिस्से का कब्जेदार व सहखातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 04 सह खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 01 का 1/10 + 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 02 से 04 का 3/10 हिस्सा है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के मध्य नींव, सींव से बंटवारा नहीं होने के कारण आये दिन काश्त में विवाद होता रहता है तथा प्रतिदिन वाद विवाद वाद कारण जारी है तथा मय नींव, सींव से बंटवारा नहीं होने के कारण लोन लेने व बैचान करने में वादी को बड़ी गम्भीर बाधा पैदा होती रहती है इसलिए बंटवारा का दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।



उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुये। प्रतिवादी संख्या 01 एवं 04 की ओर से वकील उपस्थित एवं जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 05 (तहसीलदार) की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम सिणगारा की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के खाता संख्या 186 में ख0न0 284 रकबा 02-17 बीघा, ख0न0 325 रकबा 13-14 बीघा व ख0न0 283 रकबा 01 बिस्वा कुल रकबा 16-12 बीघा मंगला, चान्दमल पि0 भंवरलाल, श्याणी, अनोप, लाली पुत्रियां भंवरलाल हि0 1/2 हि0ब0 चांदमल पुत्र भंवरलाल हि0 1/2 कौम कुम्हार सा0देह खातेदार के नाम रिकार्ड में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बरो में वादी का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 6/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का 3/10 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रकरण में किसी प्रकार का राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया है। प्रकरण में जवाब पश्चात तनकीयात कायम की जाकर स्पष्ट की गई, साक्ष्य पेश किये गये, जिरह की गई। प्रकरण में प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय पारित कर तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर बंटवारा रिपोर्ट मंगवायी गयी। दोनो पक्षों की उपस्थिति में तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा कमिश्नरी रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई। कमिश्नरी रिपोर्ट पर उभय पक्षों को सुना गया। उभय पक्षों ने कमिश्नरी रिपोर्ट पर सहमति जाहिर की। उभय पक्ष की बहस भी सुनी गयी। तदनुसार प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं एवं रिकार्ड में निम्नानुसार अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं-

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख0न0	रकबा	किस्म
01	राजू पत्नि मंगला, अनिता, अन्जु, पार्वती, लक्ष्मी, महावीर, यशवन्त पिता मंगला हि0 ब0 कौम कुम्हार सा0देह खातेदार	283	0.0080 है0	गै0मु0चाह
		284/1	0.2605 है0	बारानी 2
		कुल किता 2	0.2685 है0	
02	चान्दमल पुत्र भंवरलाल हि0 2/3, अनोप पुत्री भंवरलाल हि0 1/9, श्याणी पुत्री भंवरलाल हि0 1/9, लाली पुत्री भंवरलाल हि0 1/9 जाति कुम्हार सा0देह खातेदार	284/2	0.2006	बारानी 2 (0.1763) बारानी 1 (0.0243)
		325	2.2166	बारानी 2
		कुल किता 2	2.4172 है0	

तदनुसार अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो।

कमिश्नरी रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का भाग होगा।



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड (अधिकारी)
रूपनगढ़ (अजमेर)

अंतिम डिक्री
(आर्डर 20, रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)
(Civil procedure code Appendix D-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ़ (अजमेर)
व इजलास श्री भंवरलाल जनागल आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या 68/14

1. मंगला पुत्र भंवरलाल जाति कुम्हार निवासी सिणगारा तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर (फौत)
 - 1.1 राजू देवी पत्नि मंगला
 - 1.2 महावीर पुत्र मंगला
 - 1.3 यशवंत पुत्र मंगला
 - 1.4 लक्ष्मी पुत्री मंगला
 - 1.5 पार्वती पुत्री मंगला
 - 1.6 अंजू पुत्री मंगला
 - 1.7 अनीता पुत्री मंगला

—वादी

बनाम

1. चांदमल पुत्र भंवरलाल जाति कुम्हार निवासी सिणगारा तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर
2. श्रीमती श्याणी पत्नि सत्यनारायण जाति कुम्हार निवासी खोडियाल रोड़, बापूनगर गायत्री स्कूल के पास, अहमदाबाद
3. श्रीमती अनोप पत्नि मदनलाल जाति कुम्हार निवासी लाल दरवाजा, रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़
4. श्रीमती लाली पत्नि हीरालाल जाति कुम्हार निवासी पींगलोद तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0का0अधि0 1955

यह मुकदमा आज जरिये इजलास कतई रू-व-रू श्री भंवरलाल जनागल आर.ए.एस. व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दयलाह पेश होकर अंतिम डिक्री किया जाकर रिकार्ड में निम्नानुसार अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0न0	रकबा	किस्म
01	राजू पत्नि मंगला, अनिता, अंजू, पार्वती, लक्ष्मी, महावीर, यशवन्त पिता मंगला हि0 ब0 कौम कुम्हार सा0देह खातेदार	283	0.0080 है0	गै0मु0चाह
		284/1	0.2605 है0	बारानी 2
		कुल कित्ता 2	0.2685 है0	
02	चान्दमल पुत्र भंवरलाल हि0 2/3, अनोप पुत्री भंवरलाल हि0 1/9, श्याणी पुत्री भंवरलाल हि0 1/9, लाली पुत्री भंवरलाल हि0 1/9 जाति कुम्हार सा0देह खातेदार	284/2	0.2006	बारानी 2 (0.1763) बारानी 1 (0.0243)
		325	2.2166	बारानी 2
		कुल कित्ता 2	2.4172 है0	

असप्त मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से आज दिनांक 1.4.2022 को जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)
रूपनगढ़ (अजमेर)